

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्रमांक

/वि.स./स्था./2023

रायपुर, दिनांक

/ /2023

//कार्यालय-आदेश//

आदेशानुसार, सचिवालयीन कार्यालय-आदेश क्रमांक 1145/वि.स./स्था./2023 दिनांक 07/02/2023 के तहत संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र-एक अथवा प्रपत्र-दो (नोटराइज्ड) में विकल्प भरकर स्थापना शाखा में दिनांक 24/02/2023 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय-आदेश जारी किया गया था ।

कार्यालय कलेक्टर (कोष शाखा) जिला-रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/कोष/ओपीए/2023/1367 रायपुर, दिनांक 06/02/2023 के तहत समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि दिनांक 24/02/2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यालय में विकल्प निर्धारित प्रपत्र-2 (नोटराइज्ड शपथ-पत्र एवं सहमति पत्र न्यूनतम 05 रु. स्टाम्प में) जमा कराया जाकर कार्मिक संपदा में प्रविष्टि तथा अपलोड कराया जाना है ।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अपना चयनित विकल्प (नोटराइज्ड शपथ-पत्र एवं सहमति पत्र) स्थापना शाखा में संशोधित तिथि 17/02/2023 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करें ।

आदेश से,

हस्ताक्षर

संचालक

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 1243 /वि.स./स्था./2023

रायपुर, दिनांक 13 / 02 /2023

प्रतिलिपि:-

01. मान. अध्यक्ष, छ.ग. विधानसभा, के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. मान. नेता प्रतिपक्ष, छ.ग. विधानसभा के विशेष सहायक को मा. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
03. मान. उपाध्यक्ष, छ.ग. विधानसभा के निज सचिव को मा. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
04. सचिव, छ.ग. विधानसभा सचिवालय, के स्टॉफ ऑफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
05. समस्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारी छ.ग.विधानसभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
06. सर्वर कक्ष ।

W.A. S. 13/02/23

प्रशासकीय अधिकारी

छत्तीसगढ़ विधान सभा